भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 664

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

पंजीकृत एमएसएमई

664. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2019-24 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण की कुल संख्या वर्षवार और राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 32000 से अधिक एमएसएमई ने अपना परिचालन बंद कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 13290 एमएसएमई बंद हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई क्षेत्र में निरंतर गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई को बंद होने से रोकने तथा उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु उद्यम पंजीकरण पोर्टल को दिनांक 01.07.2020 को नए संशोधित मानदंडों के साथ लॉन्च किया गया था। दिनांक 31.01.2025 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर पूरे भारत में पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 5.89 करोड़ थी, जबकि इसी अवधि के दौरान बंद होने के कारण अपंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या 71178 थी। इसका वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध - I और II में संलग्न है।

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) और एमएसएमई चैंपियंस, पीएम विश्वकर्मा स्कीम आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के ऋण के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (दिनांक 01.04.23 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।

ii. आत्म निर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए प्रावधान है।

iii. एमएसएमई के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर उच्च सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु नए संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण'' के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षो के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।

viii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और उद्यम पोर्टल का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर नौकरी चाहने वालों की खोज करने में सक्षम हैं।

x. विवाद से विश्वास-I के तहत, कटौती की गई कार्यनिष्पादन सिक्यूरिटी, निविदा सिक्यूरिटी और नुकसान की प्रतिपूर्ति का 95% वापस करके राहत प्रदान की गई है। अनुबंधों की अनुपालना में चूक होने के कारण प्रतिबंधित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

xii. 18 व्यापारों में कार्यरत परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई है।

******

अनुबंध - I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 664, जिसका उत्तर दिनांक 06.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकृत एमएसएमई की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या*						
क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 29.01.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,799	2,914	3,850	5,404	3709
2	आंध्र प्रदेश	64,794	1,46,511	2,44,441	13,16,086	1185797
3	अरूणाचल प्रदेश	724	2,255	6,950	11,027	11549
4	असम	17,177	72,272	1,33,437	4,03,411	379929
5	बिहार	89,647	2,20,165	3,22,108	16,32,281	940745
6	चंड़ीगढ़	5,751	9,518	10,107	22,416	14493
7	छत्तीसगढ़	32,841	68,451	1,08,221	4,74,770	342421
8	दिल्ली	89,381	1,34,552	1,78,747	4,19,257	264152
9	गोवा	6,006	8,582	15,451	46,147	27200
10	गुजरात	2,44,571	3,95,460	5,20,250	13,89,724	835847
11	हरियाणा	1,02,783	1,79,397	2,36,699	5,18,555	459206
12	हिमाचल प्रदेश	12,731	26,780	47,057	88,272	81176
13	जम्मू और कश्मीर	26,347	74,216	1,03,659	2,92,319	195319
14	झारखंड	42,819	82,682	1,41,864	6,14,144	319716
15	कर्नाटक	1,51,424	3,13,461	4,21,710	15,38,090	1507989
16	केरल	71,443	1,17,274	1,79,912	6,22,689	423380
17	लद्दाख	728	2,291	3,201	7,187	3628
18	लक्षदीप	39	207	332	395	1022
19	मध्य प्रदेश	1,11,135	2,44,887	8,43,008	13,72,439	1187889
20	महाराष्ट्र	6,42,926	9,68,244	12,11,679	27,32,045	2154483
21	मणिपुर	10,334	13,661	21,141	46,949	35913
22	मेघालय	697	2,226	6,671	15,793	14726
23	मिजोरम	1,113	3,533	7,842	16,459	12880
24	नागालैंड	712	3,316	7,293	25,899	15345
25	ओडिशा	49,211	1,05,632	1,71,398	10,43,759	488261
26	पुडुचेरी	3,836	8,179	11,503	35,709	27211
27	पंजाब	1,00,892	1,82,891	2,69,899	5,94,702	505133
28	राजस्थान	2,34,378	3,91,384	5,17,152	11,33,458	1072860
29	सिक्किम	346	1,778	3,150	8,086	11169
30	तमिलनाडु	3,10,499	5,38,971	7,28,884	17,72,366	1447840
31	तेलंगाना	97,106	1,60,750	2,30,429	10,22,922	751651
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,040	4,145	5,072	9,506	6252
33	त्रिपुरा	1,675	6,703	16,580	1,68,615	60440
34	उत्तर प्रदेश	2,17,291	4,13,253	14,70,012	25,19,983	1660604
35	उत्तराखंड	22,520	49,519	72,931	2,10,219	130266
36	पश्चिम बंगाल	62,854	1,69,453	2,78,133	27,66,375	941420
कुल		**28,31,570**	**51,25,513**	**85,50,773**	**2,48,97,458**	**17521621**

** उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत दिनांक 11.01.2023 को की गई*

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 664, जिसका उत्तर दिनांक 06.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत बंद हुए एमएसएमई की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 29..01.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	9	12	26	39
2	आंध्र प्रदेश	0	113	261	499	1107
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1	2	0
4	असम	0	8	28	47	27
5	बिहार	18	541	547	677	1513
6	चंड़ीगढ़	1	21	8	12	19
7	छत्तीसगढ़	4	64	134	249	391
8	दिल्ली	0	210	470	203	131
9	गोवा	3	5	17	61	70
10	गुजरात	67	492	1074	2307	2780
11	हरियाणा	16	151	404	842	213
12	हिमाचल प्रदेश	2	8	86	38	246
13	जम्मू और कश्मीर	0	51	121	241	433
14	झारखंड	0	134	251	365	575
15	कर्नाटक	4	272	534	822	1838
16	केरल	2	137	339	591	941
17	लद्दाख	0	1	2	3	14
18	लक्षदीप	0	0	0	0	1
19	मध्य प्रदेश	1	112	548	552	1596
20	महाराष्ट्र	3	1831	3276	4800	7722
21	मणिपुर	0	0	62	33	158
22	मेघालय	0	1	1	1	0
23	मिजोरम	0	1	2	5	21
24	नागालैंड	0	1	5	7	16
25	ओडिशा	1	118	212	431	704
26	पुडुचेरी	0	8	39	56	96
27	पंजाब	0	208	88	65	88
28	राजस्थान	11	312	1068	1682	2602
29	सिक्किम	0	0	1	0	1
30	तमिलनाडु	2	591	1900	2589	3905
31	तेलंगाना	2	128	102	220	1625
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	7	16	28	35
33	त्रिपुरा	0	8	6	10	25
34	उत्तर प्रदेश	20	494	1110	1444	1168
35	उत्तराखंड	1	32	202	234	329
36	पश्चिम बंगाल	17	153	363	686	1234
कुल		**175**	**6222**	**13290**	**19828**	**31663**